मंथली पॉलिसी रिव्यू

फरवरी 2023

इस अंक की झलकियां

केंद्रीय बजट 2023-24 पेश

सरकार ने 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो संशोधित अनुमान से 7.5% अधिक है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% अनुमानित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (6.4%) से कम है।

बजट सत्र का पहला भाग समाप्त

बजट सत्र 2023 का पहला भाग 31 जनवरी, 2023 से 13 फरवरी, 2023 (10 बैठक दिवस) तक आयोजित किया गया। वर्तमान में 35 बिल संसद में लंबित हैं। 18 बिल को पेश, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.4% की दर से बढ़ी

2021-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 5.2% बढ़ी थी। 2022-23 की तीसरी तिमाही में, व्यापार और निर्माण में क्रमशः 9.7% और 8.7% की वृद्धि हुई, जबकि मैन्यूफैक्चरिंग में 1.1% की कमी आई।

रेपो दर और स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट को बढ़ाकर 6.5% और 6.25% किया गया

मौद्रिक नीति समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति 2% भिन्नता के साथ 4% के लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

अपतटीय क्षेत्र खनिज एक्ट, 2002 में ड्राफ्ट संशोधन जारी

एक्ट अपतटीय क्षेत्रों जैसे भारतीय क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में खनिज संसाधनों को रेगुलेट करता है। संशोधनों में एक अपतटीय खनिज ब्लॉक के आकार को कम करना और लाइसेंस की अवधि बढ़ाना शामिल है।

सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं

परामर्श पत्र बोर्ड के स्थायित्व, हितधारकों के लिए समझौते का खुलासा और शेयरधारकों को विशेष अधिकारों की अवधि जैसे विषयों पर केंद्रित है।

एफएम प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी (पृष्ठ 6)

परामर्श पत्र में समाचार प्रसारण पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और मौजूदा एफएम रेडियो लाइसेंस के लिए अनुमति अवधि बढ़ाने जैसे विषयों पर विचार आमंत्रित हैं।

मानवाधिकारों पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

मानवाधिकारों पर अंतर-मंत्रालयी समिति संधियों, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और विशेष प्रक्रियाओं की देखरेख, कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई पर राष्ट्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना-वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 2022-23 से 2025-26 के लिए कुल 4,800 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा में गांवों का व्यापक विकास करना है।

गंगा बेसिन में प्रदूषण निवारण के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा की कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण निवारण से संबंधित सात परियोजनाओं और घाट विकास के लिए दो परियोजनाओं को कुल 1,278 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ मंजूरी दी।

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 23234801, 43434035 ■ www.prsindia.org

संसद

Niranjana S Menon (niranjana@prsindia.org)

बजट सत्र का पहला भाग समाप्त

बजट सत्र 2023 का पहला भाग 31 जनवरी, 2023 से 13 फरवरी, 2023 (10 बैठक दिवस) तक आयोजित किया गया था। दूसरा भाग 13 मार्च, 2023 को शुरू होगा और 6 अप्रैल, 2023 को समाप्त होगा।

सत्र की शुरुआत 31 जनवरी, 2023 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। उसी दिन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2023 को पेश किया गया था।

वर्तमान में 35 बिल संसद में लंबित हैं। इनमें से नौ बिल सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2022, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) बिल, 2022 और बहु राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) बिल, 2022। 18 बिल्स को पेश, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इनमें उद्यम विकास और सेवा केंद्र (डीईएसएच) बिल, 2023 और व्यक्तियों की तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) बिल, 2023 शामिल हैं।

बजट सत्र 2023 के दौरान लेजिसलेटिव बिजनेस पर अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्रीय बजट 2023-24

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया

वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया।[1] बजट के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

- **व्यय**: सरकार ने 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है जो कि 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.5% अधिक है।
- **प्राप्तियां**: 2023-24 में प्राप्तियां (उधारियों के अलावा) 27,16,281 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 11.7% अधिक है।
- **जीडीपी**: सरकार ने 2023-24 में 10.5% की नॉमिनल जीडीपी (यानी, वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति) वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी के 15.4% तक बढ़ने का अनुमान है।[2]
- **घाटा**: 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% पर लक्षित किया गया है जो 2022-23 में जीडीपी के 6.4% के संशोधित अनुमान से कम है। राजस्व घाटा जीडीपी के 2.9% पर लक्षित है जो 2022-23 में 4.1% के संशोधित अनुमान से कम है।
- **नई आयकर व्यवस्था में बदलाव**: टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है और आय पर उच्च स्तर पर कर लगाया जाएगा। पांच करोड़ रुपए से अधिक होने पर आय पर लगने वाला अधिभार 37% से घटाकर 25% किया जाएगा।
- **नीतिगत प्रस्ताव**: राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना 2023-24 में भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एसिलेरेटर फंड स्थापित किया जाएगा।

तालिका 1: केंद्रीय बजट 2023-24 की झलक (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 21-22	संअ 22-23	बअ 23-24	संअ से बअ में परिवर्तन का %
कुल व्यय	37,93,801	41,87,232	45,03,097	7.5%
कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	22,09,280	24,31,913	27,16,281	11.7%
राजस्व घाटा	10,31,021	11,10,546	8,69,855	-21.7%
जीडीपी का %	4.4%	4.1%	2.9%	-
राजकोषीय घाटा	15,84,521	17,55,319	17,86,816	1.8%
जीडीपी का %	6.7%	6.4%	5.9%	-

नोट: संअ संशोधित अनुमान और बअ बजट अनुमान हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज 2023-24; पीआरएस।

केंद्रीय बजट 2023-24 और 15 प्रमुख मंत्रालयों के व्यय के विश्लेषण के लिए यहां देखें।

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

रेपो दर और स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट बढ़कर क्रमशः 6.5% और 6.25% हुई

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% करने का फैसला किया है।[3] समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 6% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 6.5% से बढ़कर 6.75% हो गए हैं।
- समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति 2% भिन्नता के साथ 4% के लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने की उम्मीद है। 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने की उम्मीद है।

2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.4% की दर से बढ़ी

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) 2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 4.4% बढ़ा।[4] 2021-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 5.2% और 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ी थी।

रेखाचित्र 1: जीडीपी की वृद्धि (% में, वर्ष-दर-वर्ष)

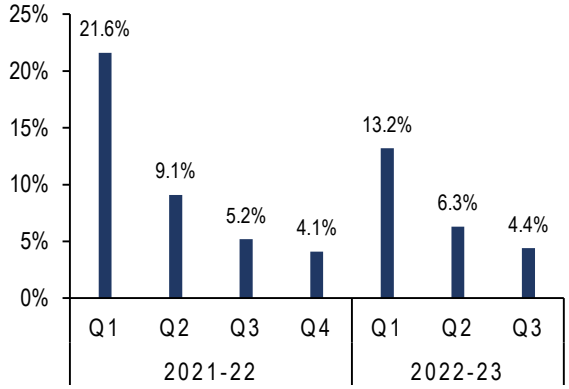

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। 2021-22 की इसी तिमाही की तुलना में 2022-23 की तीसरी तिमाही में व्यापार और निर्माण में क्रमशः 9.7% और 8.7% की वृद्धि हुई। मैन्यूफैक्चरिंग में 1.1% का संकुचन हुआ।

तालिका 2: स्थिर कीमतों पर सभी क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि (% में, वर्ष-दर-वर्ष)

क्षेत्र	ति3 2021-22	ति2 2022-23	ति3 2022-23
कृषि	2.3	2.4	3.7
खनन	5.4	-0.4	3.7
मैन्यूफैक्चरिंग	1.3	-3.6	-1.1
बिजली	6.0	6.0	8.2
निर्माण	0.2	5.8	8.4
व्यापार	9.2	15.6	9.7
वित्तीय सेवाएं	4.3	7.1	5.8
सार्वजनिक सेवाएं	10.6	5.6	2.0
जीवीए	**4.7**	**5.5**	**4.6**
जीडीपी	**5.2**	**6.3**	**4.4**

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

2022-23 की तीसरी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 2.4% बढ़ा

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2.4% की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 की इसी अवधि में इसमें 2.1% की वृद्धि हुई थी।[5,6]

2021-22 की तीसरी तिमाही में 6.1% की वृद्धि के मुकाबले 2022-23 की तीसरी तिमाही में खनन में 7.4% की वृद्धि हुई। 2022-23 की तीसरी तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग में 0.9% और बिजली में 7.9% की बढ़ोतरी हुई। रेखाचित्र 2 (नीचे) औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है।

रेखाचित्र 2: आईआईपी में वृद्धि (%, वर्ष-दर-वर्ष)

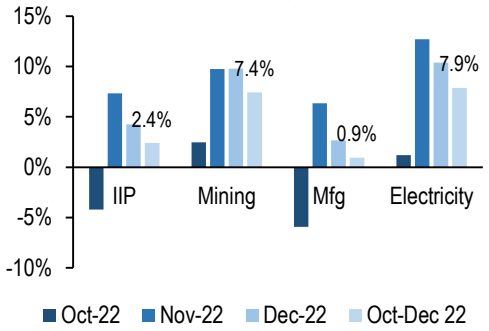

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

वित्त

UPI सुविधा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बढ़ाई गई

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत में रहने के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) का उपयोग करके स्थानीय भुगतान करने के लिए एक सुविधा की घोषणा की है।[7] शुरुआत में यह सुविधा जी-20 देशों (जैसे इटली, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, यूएस और यूके) के चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को प्रदान की जाएगी। इनमें बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली शामिल हैं।

पात्र यात्रियों को भुगतान करने के लिए UPI से जुड़े प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) वॉलेट जारी किए जाएंगे। जी20 देशों के प्रतिनिधि भी विभिन्न स्थानों पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। UPI से जुड़े वॉलेट शुरू में कुछ बैंकों जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दो गैर-बैंक पीपीआई इश्यूअर्स, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी किए जाएंगे।

UPI और PayNow (सिंगापुर की फंड ट्रांसफर सेवा) के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज भी लॉन्च किया गया। UPI PayNow एक इंस्टेंट सीमा पारीय पर्सन-टू-पर्सन भुगतान सुविधा है।

सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने 'शेयरधारकों को सशक्त बनाकर सूचीबद्ध संस्थाओं पर कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[8] यह सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) रेगुलेशन, 2015 से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। परामर्श पत्र में मुख्य टिप्पणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्टॉक एक्सचेंज को समझौतों का खुलासा**: 2015 के रेगुलेशंस के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई को उन समझौतों का खुलासा करना आवश्यक है जो बाध्यकारी हैं और व्यवसाय के सामान्य संचालन में नहीं हैं। इनमें शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते या मीडिया कंपनियों के साथ समझौते शामिल हैं। सेबी ने ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया है जहां प्रवर्तक अघोषित समझौते करते हैं जो किसी कंपनी के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं या उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। सेबी का प्रस्ताव है कि सूचीबद्ध संस्थाओं को उन समझौतों का खुलासा करना चाहिए जिनका निम्नलिखित उद्देश्य और प्रभाव है: (i) सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना, (ii) सूचीबद्ध इकाई पर कोई प्रतिबंध लगाना, या (iii) सूचीबद्ध इकाई पर देयता बनाना। इस तरह के समझौतों को सूचीबद्ध इकाई के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- **शेयरधारकों के लिए विशेष अधिकारों की अवधि**: कंपनियां अपने पूर्व-आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) निवेशकों को वीटो, विनिवेश और सूचना अधिकार जैसे विशेष अधिकार प्रदान करती हैं। इस तरह के अधिकार होल्डिंग के कमजोर पड़ने के बाद भी जारी रहते हैं, जिनके कारण निवेशक इन अधिकारों का इस्तेमाल करते रहते हैं। सेबी का प्रस्ताव है कि विशेष अधिकार हर पांच साल में शेयरधारक की मंजूरी के अधीन हों।
- **संपत्ति की बिक्री, निपटान या लीज़**: वर्तमान में, कंपनी का बोर्ड शेयरधारकों की सहमति के अधीन कंपनी की संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बेच सकता है, लीज़ पर दे सकता है या उसका निपटान कर सकता है। इन्हें कंपनी एक्ट, 2013 या व्यापार हस्तांतरण समझौतों के प्रावधानों के तहत रेगुलेट किया जाता है। इन प्रावधानों के बाहर कुछ बिक्री संपन्न की जा सकती है। सेबी ने कहा कि ऐसी बिक्री के लिए अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। उसने प्रस्ताव रखा है कि इन बिक्रियों को रेगुलेट किया जाए, और उनके उद्देश्य और औचित्य को अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाए।
- **बोर्ड का स्थायित्व**: वर्तमान में निदेशकों का कार्यकाल रेगुलेटेड है और उनमें से कुछ आवधिक सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं। सेबी का प्रस्ताव है कि निदेशकों को 31 मार्च, 2024 से हर पांच साल

में शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता होगी। कोर्ट/ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त निदेशकों को छूट प्राप्त है।

7 मार्च, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

सेबी ने ईएसजी प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने म्यूचुअल फंड द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईसीजी) के खुलासे, रेटिंग और निवेश के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक परामर्श पत्र जारी किया।[9] परामर्श पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:

- **खुलासा**: सेबी ने उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाली 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उन्हें 2022-23 में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग के अनुसार फाइलिंग करनी होगी। परिणामस्वरूप, कई स्टेकहोल्डर्स और ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स से इन खुलासों पर भरोसा करने की उम्मीद की जाती है। सेबी ने कहा कि खुलासे की विश्वसनीयता बढ़ाने और निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए आश्वासन महत्वपूर्ण है। इससे कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतक बनने की संभावना है जिनकी सभी क्षेत्राधिकारों में तुलना की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ईएसजी रेटिंग अलग हो।
- **रेटिंग्स**: रेटिंग ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं और स्वयं रिपोर्ट किए गए डेटा पर आधारित होती हैं। सेबी द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक ईएसजी मापदंडों की पहचान की जिन्हें रेटिंग में एकीकृत किया जा सकता है। सेबी ने निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रेटिंग देने के लिए 15 मापदंडों का प्रस्ताव दिया है। इनमें भूमि उपयोग, रॉयल्टी भुगतान और छोटे शहरों में रोजगार सृजन को प्रभावित करने वाले मानदंड शामिल हैं। सेबी द्वारा कॉरपोरेट्स, निवेशकों, म्यूचुअल फंड, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ सलाहकार समिति बनाई गई थी।
- **निवेश**: सेबी विभिन्न खुलासों और धनराशि के आबंटन की जरूरत के जरिए ईएसजी डेटा की गलतबयानी (ग्रीनवाशिंग) को कम करने का प्रयास करता है। इसमें म्युचुअल फंड द्वारा ईएसजी आधारित निवेशों का खुलासा करने और पारदर्शिता लाने के लिए कंपनियों के साथ नियमित जुड़ाव के आधार पर केस स्टडी बनाने का भी प्रस्ताव है।

खनन

Mayank Shreshtha (mayank@prsindia.org)

अपतटीय क्षेत्र खनिज एक्ट, 2002 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए गए

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) एक्ट, 2002 में संशोधन पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[10,11] एक्ट अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों को रेगुलेट करता है जिसमें भारतीय क्षेत्रीय जल (12 समुद्री मील तक), विशेष आर्थिक क्षेत्र (तट के साथ 12 और 200 समुद्री मील के बीच) और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, निर्माण रेत और भारी खनिजों जैसे महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद हैं। ड्राफ्ट संशोधन खनिज संसाधनों की खोज और खनन के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इन संसाधनों की पूरी क्षमता का दोहन करने का प्रयास करते हैं। ड्राफ्ट संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उत्पादन संबंधी लीज़ और एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस**: खनिज संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता में सुधार के लिए, उत्पादन लीज़ प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। एक समग्र लाइसेंस, यानी एक एक्सप्लोरेशन-कम-प्रोडक्शन लीज़ भी दी जाएगी। इस लाइसेंस के तहत एक्सप्लोरेशन के बाद उत्पादन के अधिकार दिए जाएंगे। कंपोजिट लाइसेंस भी प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। नियमों के तहत निर्धारित पात्र व्यक्तियों को लाइसेंस हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इसके

अलावा, उत्पादन लीज़ की अवधि को 30 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है।

- **लंबित मुकदमों को हल करना**: मंत्रालय ने यह भी कहा कि ब्लॉकों के पिछले अनियमित आबंटन पर लंबित मुकदमों के कारण खनिज संसाधनों का दोहन नहीं हुआ है। ड्राफ्ट संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि संशोधन एक्ट के लागू होने के बाद मौजूदा संचालन, उत्पादन और रीकन्सेशन अधिकार समाप्त हो जाएंगे। रीकन्सेंशन सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी क्षेत्र के अध्ययन को कहा जाता है।
- **मानक अपतटीय खनिज ब्लॉक के आकार में कमी**: प्रदान किए जाने वाले एक मानक खनिज ब्लॉक के आकार को लगभग 85 वर्ग किमी से घटाकर लगभग 3.4 वर्ग किमी कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, कम किया गया अपतटीय क्षेत्र अब ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे अन्य क्षेत्राधिकारों के प्रावधानों के समान है।
- **अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट**: एक नॉन-लैप्सेबल अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी (जिसे भारत के पब्लिक एकाउंट्स के तहत बनाया जाएगा) जिसका उद्देश्य एक्सप्लोरेशन, खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और आपदा प्रबंधन के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ट्रस्ट को लीज़ी से मिलने वाली रॉयल्टी के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा।

ड्राफ्ट संशोधनों पर 11 मार्च, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

पर्यावरण

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

बिजली उत्पादन में फसल अवशेषों के उपयोग के लिए ड्राफ्ट नियम जारी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा कृषि अवशेष उपयोग नियम, 2023 को जारी किया।[12] नियम उन सभी तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर लागू होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निकटवर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र हैं।[13] ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ-साथ फसल अवशेषों से बने कम से कम 5% मिश्रित पैलेट्स/ब्रिकेटों का सालाना उपयोग करना चाहिए। पैलेट्स/ब्रिकेट एक प्रकार का ठोस ईंधन हैं जो आमतौर पर ज्वलनशील बायोमास सामग्री से बना होता है।[14] जो तापीय संयंत्र ऐसा नही करते, उनसे फसल अवशेष पैलेट्स को-फायर्ड के प्रतिशत के आधार पर हर्जाना लिया जाएगा। अनुपालन शुल्क 2025-26 से बढ़ाया जाएगा।

ड्राफ्ट नियमों पर 17 अप्रैल, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

गृह मामले

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य चीन के साथ उत्तरी सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना है।[15,16] योजना के पहले चरण में लगभग 663 गांवों को लिया जाएगा। योजना के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के सृजन के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। 2022-23 से 2025-26 तक चलने वाली इस योजना के लिए 4,800 रुपए आबंटित किए गए हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **परिणाम**: चिन्हित परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बारहमासी सड़कों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार, (ii) पीने के पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना, (iii) सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, (iv) इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तक पहुंच में सुधार, और (v) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करना।
- **वाइब्रेंट विलेज कार्य योजना**: जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत की सहायता से, गांव के लिए कार्य योजना बनाएगा।
- **सड़कों का विकास**: सड़कों के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे जो कुल

परिव्यय का 52% है। योजना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगी।

- **विकास केंद्र**: योजना स्थानीय आर्थिक वाहकों और विकास केंद्रों की पहचान और उनका विकास करेगी। ये विकास केंद्र समुदाय-आधारित संगठनों के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और "एक गांव-एक उत्पाद" को बढ़ावा देंगे। ऐसे संगठनों में स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। एक गांव-एक उत्पाद का उद्देश्य अद्वितीय स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आर्थिक पुनरोद्धार और ग्रामीण विकास का समर्थन करना है।[17]

जल शक्ति

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

गंगा बेसिन और घाट विकास में प्रदूषण निवारण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी

राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा की कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन और घाट विकास में प्रदूषण निवारण के लिए 1,278 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी है।[18] सात परियोजनाएं गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और दो घाट विकास से संबंधित हैं। विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं:

- **उत्तर प्रदेश**: राज्य में 517 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज के पास सलोरी आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए 422 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड (निर्मित आर्द्रभूमि) प्रणालियों के विकास द्वारा काली पूर्व नदी के कायाकल्प के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड ऐसी उपचार प्रणालियां होती हैं जो पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए वेटलैंड की वनस्पतियों, मिट्टी और रोगाणुओं से जुड़ी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करती हैं।[19] इस परियोजना के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे।
- **मध्य प्रदेश**: इंदौर में कहन और सरस्वती नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें प्रस्तावित उपचार संयंत्रों के बीच तीन सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और ट्रीटेड वॉटर रीयूज़ नेटवर्क का निर्माण शामिल है। परियोजना के लिए 511 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे।
- **पश्चिम बंगाल**: दो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए 123 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।
- **बिहार**: 104 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिसमें से 94 करोड़ रुपए दो वॉटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए आबंटित किए जाएंगे।
- **गंगा बेसिन पर प्रदूषण सूचीकरण, मूल्यांकन और निगरानी (पीआईएएस)**: औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। पीआईएएस को 114 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे। यह परियोजना सालाना अति प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, नालियों और सीवेज उपचार संयंत्रों का निरीक्षण और निगरानी करेगी।

संचार

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ऑथराइजेशन पर परामर्श पत्र जारी

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने 'एकीकृत लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ऑथराइजेशन का परिचय' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[20] भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है जहां वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स और मनोरंजन सेवाओं जैसी अधिकांश चीजें डिजिटल रूप से प्रदान की जाती हैं। इसके मद्देनजर एक ऐसे ढांचे की उपलब्धता महत्वपूर्ण है जो संस्थाओं को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में सक्षम बनाता है जिस पर कोई भी सेवा चलाई जा सकती है। वर्तमान

में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर केवल पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर (टॉवर और डक्ट स्पेस) प्रदान करते हैं और उन्हें एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर (एंटीना और सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कोर नेटवर्क तत्व) प्रदान करने की अनुमति नहीं है। ट्राई ने कहा कि पैसिव और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली थर्ड पार्टी संस्थाओं की उपस्थिति सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच नेटवर्क साझा करने और लागत कम करने में मदद कर सकती है। ऐसी संस्थाओं को एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के तहत एक अलग लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। ट्राई के अनुसार ऐसी संस्थाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (डीसीआईपी) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

ट्राई ने निम्नलिखित पर विचार मांगे हैं: (i) डीसीआईपी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, (ii) डीसीआईपी के तहत एलिमेंट्स (पैसिव और एक्टिव) का दायरा, (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स का प्रस्तावित डीसीआईपी ऑथराइजेशन में माइग्रेशन, और (iv) यह सुनिश्चित करना कि डीसीआईपी निष्पक्ष तरीके से सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करें।

9 मार्च, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

मीडिया एवं प्रसारण

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया गया

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने 'एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[21] केंद्र सरकार ने 1999 में चरणबद्ध तरीके से एफएम रेडियो प्रसारण को निजी क्षेत्र के लिए खोला था। एफएम रेडियो प्रसारक सूचना प्रसारण मंत्रालय को वार्षिक शुल्क का भुगतान करते हैं। वर्तमान में वार्षिक शुल्क की निम्नलिखित दर से वसूला जाता है: (ए) एफएम रेडियो चैनल के सकल राजस्व का 4%, (बी) या संबंधित शहर के लिए नॉन-रिफंडेबल वन-टाइम एंट्री फी का 2.5%, जो भी अधिक हो। प्रसारकों को दी गई लाइसेंस अवधि 15 वर्ष है।

ट्राई ने कहा कि प्रसारकों का विज्ञापन राजस्व कोविड-19 के दौरान प्रभावित हुआ था, और प्रसारकों ने लाइसेंस अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। एफएम रेडियो प्रसारकों को केवल आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को अपरिवर्तित प्रारूप में प्रसारित करने की अनुमति है। किसी अन्य समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है। यूएस और यूके जैसे अन्य देशों में, इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं हैं, और समाचार प्रसारित करने में सटीकता और निष्पक्षता के बारे में केवल कुछ दिशानिर्देश मौजूद हैं।

इसके मद्देनजर ट्राई ने निम्नलिखित पर विचार मांगे हैं: (i) क्या वार्षिक लाइसेंस शुल्क से संबंधित प्रावधान उचित हैं, (ii) मौजूदा एफएम रेडियो लाइसेंसधारियों के लिए अनुमति अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है, (iii) समाचार प्रसारण पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करना, और (iv) इन-बिल्ट एफएम रेडियो रिसीवर वाले मोबाइल हैंडसेट को अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

9 मार्च, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

कानून एवं न्याय

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया

कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।[22] कार्यकाल को बढ़ाने की वजह यह है कि नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आयोग की संरचना वही होगी और वह अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को ही निभाएगा।

विदेशी मामले

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

मानवाधिकारों पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

मानवाधिकारों पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। मानवाधिकारों के दायित्वों और संधि निकायों के सुझावों, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और विशेष प्रक्रियाओं को लागू करने, रिपोर्ट करने और उनका पालन करने के लिए समिति का गठन किया गया था।[23] समिति निम्नलिखित का निरीक्षण करेगी: (i) सभी संपुष्ट मानवाधिकार रिपोर्टिंग दायित्व, (ii) संधि निकायों के सुझावों, सार्वभौमिक अवधि समीक्षा और विशेष प्रक्रियाओं को लागू करना, और (iii) राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ाव के तौर-तरीके। विशेष प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मशीनरी का एक केंद्रीय हिस्सा है, जिसके तहत स्वतंत्र विशेषज्ञ मानवाधिकारों के मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं और इस संबंध में सलाह देते हैं। समिति में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।

अल्पसंख्यक मामले

Alaya Purewal (alaya@prsindia.org)

नया सवेरा और नई उड़ान योजनाएं बंद

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करने वाली दो योजनाओं को बंद कर दिया गया है।[24] इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2022 (एनईपी) के अनुरूप रखने के लिए बंद किया गया है। एनईपी में कहा गया है कि कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए परीक्षाओं की मौजूदा संरचना में सुधार किया जाएगा।

पहली योजना 'मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं' (नया सवेरा) है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सशक्त बनाना है। दूसरी योजना 'यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायता' (नई उड़ान) योजना है जो उन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने उल्लिखित परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 2021-22 में इन दो योजनाओं के लिए क्रमशः 79 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।[25]

नागरिक उड्डयन

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन के तहत प्रोटोकॉल की संपुष्टि को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (शिकागो कन्वेंशन) (आईसीएओ), 1944 में तीन संशोधित प्रोटोकॉल की संपुष्टि को मंजूरी दी।[26] कन्वेंशन अनुबंधित देशों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है और हवाई परिवहन को रेगुलेट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने को बढ़ावा देता है। कन्वेंशन में निम्नलिखित संशोधन किए गए: (i) सदस्य देशों को उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों पर हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकना, (ii) आईसीएओ काउंसिल की सदस्यता को 36 से बढ़ाकर 40 करना, और (iii) एयर नेविगेशन कमीशन की सदस्यता को 18 से बढ़ाकर 21 करना।

शिपिंग

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

फेरी संचालन के दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने रोल-ऑन रोल-ऑफ (रो-रो) और रो-पैक्स फेरी सेवाओं के संचालन हेतु संशोधित दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।[27] ये सेवाएं लॉजिस्टिक्स की लागत कम करती हैं और कम प्रदूषण करती हैं। साथ ही छोटी दूरी की यात्रा को संभव बनाती हैं। समिति जहाजों के सुरक्षा मानकों, यात्रियों/कार्गो की अधिक बोर्डिंग पर नियंत्रण तंत्र, ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली और राजस्व साझाकरण तंत्र जैसे विषयों की समीक्षा करेगी। मंत्रालय ने स्टेकहोल्डर्स की सलाह के लिए जून 2022 में भारतीय तट पर रो-रो और रो-पैक्स फेरी सेवा के संचालन के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश सर्कुलेट किए थे।

समिति रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनल ऑपरेटर के लिए और

फास्ट पैसेंजर फेरी के संचालन के लिए एक मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट का भी ड्राफ्ट तैयार करेगी।

[1] Union Budget 2023-24, https://www.indiabudget.gov.in/.

[2] "First Advance Estimates of National Income, 2022-23", Press Information Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 6, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1889192#:~:text=Real%20GDP%20or%20GDP%20at,on%2031st%20May%2C%202022.

[3] Resolution of Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India, February 8, 2023, https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55178.

[4] "Second Advance Estimates of National Income, 2022-23, Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Third Quarter (October-December), 2022-23 and First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation, 2021-22." Press Information Bureau, February 28, 2023, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1903091.

[5] "Quick Estimates of Index of Industrial Production and Use-Based Index for The Month of December 2022", Press Information Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 10, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897995.

[6] "Quick Estimates of Index of Industrial Production and Use-Based Index for the Month of December, 2021 (Base 2011-12=100), Press Information Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 11, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797666.

[7] Extending UPI for Inbound Travellers to India, Press Release, Reserve Bank of India, February 21, 2023, https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55263.

[8] Consultation paper on strengthening corporate governance at listed entities by empowering shareholders – amendments to the SEBI (LODR) regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India, February 21, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/feb-2023/consultation-paper-on-strengthening-corporate-governance-at-listed-entities-by-empowering-shareholders-amendments-to-the-sebi-lodr-regulations-2015_68261.html.

[9] Consultation paper on ESG Disclosures, Ratings and Investing, Securities and Exchange Board of India, February 20, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/feb-2023/consultation-paper-on-esg-disclosures-ratings-and-investing_68193.html.

[10] Notice for public consultation: Amendment of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act 2002, Ministry of Mines, February 9, 2023, https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/Noteforpublicconsultation.pdf.

[11] Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act 2002, Ministry of Mines, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2040/1/200317.pdf.

[12] Draft Agro Residue Utilisation by Thermal Power Plants Rules, 2023, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, February 16, 2023, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/243680.pdf.

[13] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228982.pdf.

[14] Briquette Training Manual, United Nations Industrial Development Organisation, 2019, https://www.ctc-n.org/system/files/dossier/3b/briquette_production_manual_2.pdf.

[15] "Cabinet approved Centrally Sponsored Scheme – "Vibrant Villages Programme" for the financial years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs 4,800 crore", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, February 15, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1899447.

[16] "Union Budget 2022-23, New Vibrant Villages Programme", Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, February 24, 2022, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/feb/doc202222418801.pdf.

[17] Global Application of the One Village One Product Movement, Food and Agriculture Movement, 2022, https://www.fao.org/3/cc2693en/cc2693en.pdf.

[18] "Namami Gange Executive Committee approves 9 projects worth Rs 1278 crore for pollution abatement in Ganga Basin and Ghat Development", Ministry of Jal Shakti, Press Information Bureau, February 22, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1901496.

[19] 'Constructed Wetlands', United States Environmental Protection Agency (accessed on February 27, 2023), https://www.epa.gov/wetlands/constructed-wetlands

[20] Consultation Paper on 'Introduction of Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) Authorization under Unified License (UL)', Telecom Regulatory of India, February 9, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_09022023.pdf.

[21] Consultation Paper on 'Issues related to FM Radio Broadcasting', Telecom Regulatory Authority of India, February 9, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_09022023_0.pdf.

[22] "Cabinet approves the extension of the term of the 22nd Law Commission of India upto 31st August, 2024", Press Information Bureau, Ministry of Law and Justice, February 23, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1901254.

[23] Resolution No. UI/352/25/2022, Ministry of External Affairs, The Gazette of India, February 03, 2023, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/243416.pdf.

[24] Notice for Discontinuation of Scheme Naya Savera and Nai Udaan, Ministry of Minority Affairs, February 20, 2023, https://www.minorityaffairs.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&ls_id=763&lid=988.

[25] Demand No. 69 2021-22, Ministry of Minority Affairs, 2021, https://www.indiabudget.gov.in/budget2021-22/doc/eb/sbe69.pdf.

[26] "Cabinet approves the ratification of three Protocols on Article 3 bis and Article 50 (a) & Article 56 relating to amendments in the convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, February 22, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1901259.

[27] "High Level Committee to draft revised Guidelines for Ro-Ro and Ro-Pax ferry services", Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, February 13, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898826.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।